Prabhat Khabar (Date: - 02/10/2019)

सुरक्षित पुरास्थलों पर बनेगी छोटी फिल्म

संवाददाता ▷ पटना

राज्य के पुरास्थलों की जानकारी नये सत्र से सरकारी स्कूल के छात्रों को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से दी जायेगी. कला संस्कृति एवं युवा विभाग इसके लिये तैयारी कर चुका है. पटना, गया, नालंदा, राजगीर, जहानाबाद, सारण जैसे जिलों में विभाग ने एक टीम भेजी थी, जिसके बाद फिल्म बनाने का निर्णय लिया गया है. यह फिल्म पटना के वैसी धरोहरों से बनायी जायेगी, जिनको बच्चे किताब में भी पढ़ेंगे. विभाग ने कोशिश की है कि धरोहर, संस्कृति और अपनी सभ्यता पर छोटी फिल्में बनायी जाये और इसको लेकर इस माह में ही विभागीय स्तर पर बैठक आयोजित होगी.

विभाग की वेबसाइट पर भी रहेंगी फिल्में, हर वक्त होगा बदलाव : कला संस्कृति व युवा विभाग के वेबसाइट पर फिल्म और खुदाई के दौरान की दुर्लभ तस्वीरें भी डाली जायेंगी. खुदाई में मिलने वाले पुरातत्वों को भी अपलोड करके उसकी जानकारी दी जायेगी, जिसे लोग आराम से पढ़ पायेंगे. वेबसाइट पर हर जानकारी हिंदी व अंग्रेजी में होगी.

वहीं, समय-समय पर अपलोड फिल्म और फोटो को बदला जायेगा, ताकि वेबसाइट से भी बच्चों के साथ बड़ों को बिहार की नयी-नयी जानकारियां मिलती रहे.

Prabhat Khabar (Date: - 02/10/2019)

थावे महोत्सव का पर्यटन मंत्री ने किया उद्घाटन

थावे (गोपालगंज). बिहार शक्तिपीठ सर्किट से थावे मां सिंहासनी का दरबार जुड़ा है. यहां पर्यटकों का आकलन करने के साथ ही पर्यटन विभाग होटल बनायेगा. इतना ही नहीं पर्यटन केंद्र भी खोला जायेगा. भगवती उग्र तारा, कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी के बाद थावे शक्तिपीठ को भी सर्किट में जोड़ा गया है. उक्त बातें शक्तिपीठ थावे में दो दिवसीय महोत्सव का दीप जला कर उद्घाटन करने के बाद पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहीं. यहां यूपी और नेपाल से काफी संख्या में पर्यटक आते है. इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें लोक गायिका देवी ने गीत प्रस्तुत किया.

गीत प्रस्तुत करतीं गायिका देवी .

Prabhat Khabar (Date: - 02/10/2019)

इस वर्ष बापू की 150वीं जयंती पर रिहा किये जायेंगे 26 कैदी

- सामान्य अपराध में अपनी दो-तिहाई सजा पूरी करने वाले कैदियों को छोड़ा जायेगा

लाइफ रिपोर्टर@ पटना

इस वर्ष दो अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 26 कैदियों को रिहा किया जायेगा. इसके लिए निर्धारित तमाम मानकों को ध्यान में रखते हुए इनके नामों का प्रस्ताव राज्य सरकार ने तैयार कर लिया है. इस पर गृह (कारा) विभाग के स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है. बापू की 150वीं जयंती के मौके पर तीन चरणों में राज्य के चुनिंदा कैदियों को छोड़ने की नीति केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तैयार की थी. इसके तहत इस बार यह तीसरा और अंतिम चरण है. पहले चरण में पिछले वर्ष गांधी जयंती के मौके पर 18 कैदी और दूसरे चरण के तहत जून 2019 में करीब 45 कैदी रिहा किये जा चुके हैं.

इसी क्रम में तीसरे चरण के तहत इस बार 26 कैदियों को छोड़ने के साथ ही यह योजना पूरी हो जायेगी. इस तरह राज्य के विभिन्न जेलों से 89 कैदियों की बची हुई सजा को माफ करते हुए वे रिहा हो जायेंगे. इसमें बड़ी संख्या में 14 साल की सजा पूरा करने वाले कैदियों की भी है. इस योजना के तहत छोटे-मोटे अपराध के लिए जेल में बंद उन कैदियों को माफी दी जायेगी, जिन्होंने अपनी कुल सजा का दो-तिहाई या 66 प्रतिशत समय काट लिया है.

कैदियों का व्यवहार सजा के दौरान जेल में कैसा रहा, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है, जैसे तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इनका चयन किया जायेगा. इसके अलावा 55 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्ध महिला, जिसने अपनी 50 फीसदी या आधी सजा और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति, जिन्होंने 50 फीसदी सजा काट ली हो, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है.

इन्हें नहीं छोड़ा जायेगा

किसी भी उम्र का कोई कैदी, जो उम्र कैद या 20 वर्ष या 14 वर्ष की सजा काट रहा हो, उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा. इसके अलावा पॉस्को, देशद्रोह, रेप, यूएपीए, दहेज उत्पीड़न, मादक द्रव्यों की तस्करी (एनडीपीएस), वित्तीय घोटाले या अनियमितता, हत्या, डकैती जैसे अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में कितने भी समय की सजा काटने वाले कैदियों को शामिल नहीं किया गया है.

Prabhat Khabar (Date: - 02/10/2019)

फायदा. सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया

सूबे की नौकरियों में मुक्त विद्यालयों की डिग्री व प्रमाणपत्र होंगे मान्य

संवाददाता ▷ पटना

सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्यों की तरफ से गठित मुक्त विद्यालयों के प्रमाण पत्र एवं डिग्रियां मान्य की जायेंगी. विभाग के इस निर्णय से उन हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने मुक्त विद्यालयों से मैट्रिक या इंटर की डिग्री ले रखी थी. दरअसल शिक्षा विभाग ने औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों के मुक्त विद्यालयों की तरफ से जारी मैट्रिक एवं इंटर की डिग्री एवं प्रमाण पत्रों को सामान्य बोर्ड की डिग्रियों के समकक्ष हैं. शिक्षा विभाग के इस आशय की सिफारिश के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्णय लिया है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सरकार के उप सचिव गुफरान अहमद ने इस निर्णय को बिहार के राजपत्र में प्रकाशित करने के आदेश दिये हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि अभी तक राज्य सरकार की नियुक्तियों में ऐसे संस्थानों की डिग्रियों की मान्यता के संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे. इसका मामला एक अरसे से विचाराधीन चल रहा था.

मांगा गया था अभिमत

भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मुक्त विद्यालयों की स्थापना की जाती है . इन डिग्रियों का उपयोग विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए किया जाता है . ऐसे विद्यार्थी नौकरियों में भी प्रमाणपत्र पेश करते आये हैं . नौकरी में मान्य किया जाये या नहीं, इस संदर्भ में शिक्षा विभाग से अभिमत मांगा गया था .